

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय
प्रकरण संख्या :- 99/2023 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, एयू सेन्टर, तृतीय तल, सन्नी ट्रेड सेन्टर, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजूलाल यादव पुत्र श्री श्याम लाल यादव,
पता:- 7, राजसव ग्राम यादव खेड़ा, मूल ग्राम व्यासाली, तहसील आमेर जिला जयपुर
एवं व्यासों की ढाणी, खन्नीपुरा, यादव खेड़ा, जिला जयपुर
एवं पट्टा नं. 27, गिसल नं. 50, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्री सीताराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव,
3. श्रीमती मोहरी देवी पत्नी श्री श्याम लाल यादव,
पता:- 7, राजसव ग्राम यादव खेड़ा, मूल ग्राम व्यासाली, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री बद्रीनारायण,
पता:- 335, बद्रीनारायण की ढाणी, देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपरिस्थित :- श्री सुरेन्द्र सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 23.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.10.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजूलाल यादव एवं श्री सीताराम यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 27, गिसल नं. 50, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 222.7 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 05,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का गलीगालि अवलोकन किया गया।

24/05
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (प्रांतीय)



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 05,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल 03,87,337/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.06.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजूलाल यादव एवं श्री सीताराम यादव के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 27, मिसल नं. 50, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 222.7 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
- आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
- आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(बन्धक) जयपुर (ग्रामीण)